



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-10082024-256096
CG-UP-E-10082024-256096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2976]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 2976]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 5 अगस्त, 2024

का.आ. 3120(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इस के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा 20 'क' की उपधारा(1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड ii, दिनांक 27 मई 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पूर्वोत्तर रेलवे, निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का0 आ 2108(अ) दिनांक 27 मई 2024 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के संतकबीरनगर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन परियोजना (240.66 किमी0) के खलीलाबाद तहसील के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी।

और उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "द टाइम्स ऑफ इण्डिया व हिन्दुस्तान" में तारीख 06 जून 2024 को प्रकाशित किया गया था। और, सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(वि0/रा0)/संतकबीरनगर को इस परियोजना में मिली गई आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है।

और सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(वि०/रा०) संतकबीरनगर के उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त हो कर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद तहसील के अंतर्गत 2 ग्रामों का सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) संतकबीरनगर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन परियोजना (240.66 किमी०) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित सक्षिप्त विवरण।

जिला— संतकबीरनगर, राज्य— उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	जिला	तहसील	गाँव का नाम	प्लॉट सं०	अधिग्रहित भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	कुल क्षे० हे०	भूमि का प्रकृति	भूमि का प्रकार	खातेदार का नाम
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	उसकाकलाँ	12	0.0080	0.0080	बंजर	सरकारी	बंजर

भूमि अधिग्रहित के लिए कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल **0.0080 0.0080**

क्रम सं०	जिला	तहसील	गाँव का नाम	प्लॉट सं०	अधिग्रहित भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	कुल क्षे० हे०	भूमि का प्रकृति	भूमि का प्रकार	खातेदार का नाम
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मड़या	390	0.5301	4.1550	अकृषिक	निजी	खलीलाबाद सुगर मिल्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि० की एक इकाई जनपद सन्तकबीर नगर
				389	0.9732	2.9790	अकृषिक	निजी	खलीलाबाद सुगर मिल्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि० की एक इकाई जनपद सन्तकबीर नगर
				393	0.0040	0.2190	अकृषिक	निजी	खलीलाबाद सुगर मिल्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि० की एक इकाई जनपद सन्तकबीर नगर
				394	0.0032	0.0930	अकृषिक	निजी	खलीलाबाद सुगर मिल्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि० की एक इकाई जनपद सन्तकबीर नगर
				395	0.0112	0.1740	अकृषिक	निजी	खलीलाबाद सुगर मिल्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि० की एक इकाई जनपद सन्तकबीर नगर
भूमि अधिग्रहित के लिए कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल					1.5217	7.6200			

[फा. सं.- डब्लू/कॉन/247/बीजी/जी/KLD-BRK/Pt.-2(3)]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 5th August, 2024

S.O. 3120(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Eastern Railway, Construction Origination), Notification number, **S.O. 2108(E)** dated the 27 May 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated 27 May 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Khalilabad-Bahraich New Line Railway project (240.66 km.) in Tehsil Khalilabad of Santkabirnagar District in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "**Hindustan**" and "**The Times of India**" Dated 06th June 2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, the competent Authority has resolved all the objection received in this project against the notification. And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Khalilabad-Bahraich New Line Railway project (240.66 km) in 2 villages of Tehsil Khalilabad of Santkabirnagar District in the State of Uttar Pradesh under Special Land Acquisition Officer/Additional District Magistrate (Finance/Revenue) Santkabirnagar, in the district Santkabirnagar in the State of Uttar Pradesh.

District Santkabirnagar, State Uttar Pradesh

Sr. No	District	Tehsil	Village Name	plot no.	Area proposed for land acquisition (in hect.)	Total Area (Hec.)	Type of Land	Nature Of Land	Ownership Detail
1	Santkabir Nagar	Khalilabad	Uskakalaan	12	0.0080	0.0080	barren	Goverment	Barren

Total area of land proposed to be acquired 0.0080 0.0080

Sr. No	District	Tehsil	Village Name	plot no.	Area proposed for land acquisition (in hect.)	Total Area (Hec.)	Type of Land	Nature Of Land	Ownership Detail
1	Santkabir Nagar	Khalilabad	Madya	390	0.5301	4.1550	Non-Agricultural	Personal	Khalilabad Sugar Mill is a unit of Balrampur Sugar Mills Ltd., Sant Kabir Nagar district
				389	0.9732	2.9790	Non-Agricultural	Personal	Khalilabad Sugar Mill

									is a unit of Balrampur Sugar Mills Ltd. Sant Kabir Nagar district
				393	0.0040	0.2190	Non-Agricultural	Personal	Khalilabad Sugar Mill is a unit of Balrampur Sugar Mills Ltd. Sant Kabir Nagar district
				394	0.0032	0.0930	Non-Agricultural	Personal	Khalilabad Sugar Mill is a unit of Balrampur Sugar Mills Ltd. Sant Kabir Nagar district
				395	0.0112	0.1740	Non-Agricultural	Personal	Khalilabad Sugar Mill is a unit of Balrampur Sugar Mills Ltd. Sant Kabir Nagar district
Total area of land proposed to be acquired					1.5217	7.6200			

[F. No. W/Con/247/BG/G/KLD-BRK/Pt.-2(3)]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction